न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री के.के.शर्मा, आई0ए0एस0 अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील संख्या :–53/2015/टोंक (2015/00063)

1. सत्यनारायण पुत्र मोती, जाति भाट, निवासी ग्राम कठमाना, हाल निवासी प्लॉट नं0 112/516, अग्रवाल फार्म, जयपुर ।

अपीलांट

बनाम

1. लता नायर तथाकथित जीवनी पत्नि श्याम सुन्दर, जाति भाट, निवासी 11, अलंकार विहार, सिरसी रोड़, जयपुर ।
2. ग्राम पंचायत कठमाना जरिये सरपंच, तह0 पीपलू, जिला टोंक ।

असल रेस्पोर्डेंटस

3. श्रीमती बादाम पत्नि पन्नालाल जाट,
4. श्रीमती रोशन देवी पत्नि राजाराम जाट,
5. कैलाश पुत्र राजू भाट,
6. रमेश पुत्र राजू भाट,
7. प्रकाश पुत्री श्रीमती कस्तूरी बेवा राजू भाट,
8. रतनी पुत्री श्रीमती कस्तूरी बेवा राजू भाट,
9. सीता पुत्री श्रीमती कस्तूरी बेवा राजू भाट,
10. श्रीमती मंगली पत्नि शंकर, जाति तेली,
11. श्रीमती लाली पत्नि गणेश, जाति तेली,

समस्त निवासीगण ग्राम कठमाना, तह0 पीपलू, जिला टोंक ।

रेस्पोर्डेंटस

अपील अंतर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीपलू, जिला टोंक दिनांक 16.4.2015 अंतर्गत अपील संख्या 02/2013 .

उपस्थितः–

1. श्री हेमराज गुप्ता, वकील अपीलांट ।
2. श्री विकास पाराशर, वकील रेस्पो0 संख्या 1 .
3. श्री शांतिप्रकाश औझा, वकील रेस्पो0 संख्या 10 व 11.
4. रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 9 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक :– 23.7.2018

अपीलांट ने यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीपलू, जिला टोंक (संक्षेप में अधीनस्थ न्यायालय) द्धारा पारित निर्णय दिनांक 16.4.2015 (संक्षेप में अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत की हैं। xx

1- प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 ने नामांतकरण संख्या 985 दिनांक 20.7.2002 जो ग्राम पंचायत, कठमाना द्वारा स्वीकृत किया गया से व्यथित होकर प्रथम अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीपलू के न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा संख्या 759 रकबा 4 बिस्वा गै0मु0 चाह, खसरा नंबर 1218 रकबा 3 बिस्वा गै0मु0चाह, खसरा संख्या 1663 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा गे0मु0चाह, खसरा संख्या 1664 रकबा 1 बिस्वा गै0मु0चाह, खसरा संख्या 997 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा, खसरा संख्या 1656 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा वाकै ग्राम कठमाना, तह0 पीपलू में अवस्थित है, जो कमला बेवा मोती, सत्यनारायण पुत्र मोती, जीवनी पुत्री मोती के नाम राजस्व रिकार्ड में बराबर हिस्सा से दर्ज थी । उक्त नामांतकरण रेस्पो0 संख्या 1 ने जीवणी को मृत बताकर अपने नाम तस्दीक करवा लिया जबकि वह जीवित है । उक्त कृत्य आपराधिक एवं धोखधड़ी व षड़यंत्र की श्रेणी में आता है । अपीलांट जीवित थी या मर चुकी थी ग्राम पंचायत द्वारा उसकी कोई जांच नहीं की गई तथा अब कमला बेवा मोती का भी स्वर्गवास हो चुका है । अपीलांटस व रेस्पो0 संख्या 1 दोनो भाई बहिन है । इसलिये आधा हिस्सा अपीलांट का एवं आधा हिस्सा रेस्पो0 का है जबकि वर्तमान में संपूर्ण हिस्सा रेस्पो0 संख्या 1 सत्यनारायण ने अपने नाम दर्ज करवा लिया। इस प्रकार उक्त नामांतकरण को निरस्त करने की प्रार्थना की गई । विद्वान अधी0न्याया0 ने रेस्पो0 संख्या 1 की एकतरफा बहस सुनते हुए अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना एवं अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधि0 पर अपना कोई विवेचन दिये बिना सरसरी तौर से अपने अवैधानिक निर्णय दिनांक 16.3.2015 द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 की अपील स्वीकार करते हुए नामांतकरण संख्या 985 दिनांक 20.7. 2002 को निरस्त कर विवादित आराजियात में रेस्पो0 संख्या 1 का हिस्सा दर्ज करने करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के उक्त आदेश दिनांक 02.7.2002 से व्यथित होकर अपीलांट ने प्रथम अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की जो अभी विचाराधीन है । तत्पश्चात् रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष ही एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 व 152 जा0दी0 प्रस्तुत कर पूर्व निर्णय में यह संशोधान करने का निवेदन किया कि खसरा नंबर 759 रकबा 4 बिस्वा व खसरा नंबर 1218 रकबा 3 बिस्वा गै0मु0चाह का अंकन वर्तमान जमाबंदी में कमला व सत्यनारायण का हिस्सा 1/2 दर्ज है, में मृतक कमला बेवा मोती का नाम हटाया जाकर दर्ज हिस्से 1/2 में अपीलांट का नाम रेस्पो0 संख्या 1

के साथ बहिस्सा बराबर एवं खसरा नंबर 1214 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा में अपीलांट का नाम रेस्पो0 संख्या 1 के साथ बहिस्सा बराबर तथा खसरा नंबर 1663 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 1664 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नंबर 997 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 1018 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा में अपीलांट का 1/2 हिस्सा एवं खसरा नंबर 1656 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा में अपीलांट का 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाया जावे तथा शेष अंकन राजस्व रिकार्ड के अनुसार बदस्तूर एवं प्रभार बैंक भी शेष हिस्से पर बदस्तूर जारी रखे जाने के आदेश दिये जावे । उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 16.4.2015 को प्रस्तुत किया गया जिस पर अधी0न्याया0 ने दिनांक 16.4.2015 को ही अवैधानिक रूप से संशोधित निर्णय पारित कर दिया । उक्त संशोधित निर्णय दिनांक 16.4. 2015 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

2- अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 10 एवं 11 के उपस्थित होने तथा अधी0न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेंटस की बहस सुनी गई । xx

3- अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, पीपलू द्वारा रेस्पो0 संख्या का प्रार्थना पत्र धारा 151 व 152 जा0दी0 पर अवैधानिक रूप से निर्णय पारित किया गया है एवं धारा 151 व 152 जा0दी0 में प्रावधित प्रावधानों एवं उनकी मंशा के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया है। धारा 151 व 152 जा0दी0 के तहत केवल मात्र न्यायालय द्वारा हुई लिपिकीय या अंक गणितीय त्रुटि या आकस्मिक भूल या लोप से हुई गलतियों को ही शुद्ध किया जा सकता है परन्तु अधी0न्याया0 ने संशोधित निर्णय दिनांक 16.4.2015 पारित कर पूर्व निर्णय दिनांक 16.3.2015 में जिस प्रकार संशोधन किया है वे धारा 151 व 152 जा0दी0 के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 के निर्णय दिनांक 16.3.2015 के विरूद्ध अपीलांट ने न्यायालय हाजा के समक्ष अपील संख्या 33/2015 बउनवानी सत्यनारायण बनाम लता नायर प्रस्तुत कर रखी है, जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 3.7.2015 नियत थी । न्यायालय हाजा के समक्ष अपील के विचाराधीन रहते अधी0न्याया0 द्वारा अवैधानिक रूप से कानूनी प्रक्रिया के विपरीत जाकर संशोधित निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है । रेस्पो0 संख्या 3 लगायत 11 विवादित आराजियात के क्रेता होकर रिकार्डेड खातेदार है तथा राजस्व रिकार्ड में उनका नाम अंकित है । अधी0न्याया0 के समक्ष अपील प्रस्तुत होने से पूर्व ही तरतीबी रेस्पो0 संख्या 3 लगायत 11 का नाम दर्ज हो चुका था जिससे रेस्पो0 संख्या 3 लगायत 11 भी प्रकरण में आवश्यक पक्षकार थे किन्तु रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत अपील में रेस्पो0 संख्या 3 लगायत 11 को पक्षकार नहीं बनाया जिससे भी रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अधी0न्याया0 के

समक्ष अपील पक्षकारों के असंयोजन के अभाव में संधारण योग्य नहीं थी । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य को नजरअदांज कर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत नामांतकरण संख्या 985 दिनांक 20.7.2002 के विरूद्ध धारा 75 भू–राजस्व अधि0 के तहत प्रस्तुत की गई थी लेकिन उनके द्वारा एक नियमित राजस्व वाद के निस्तारण के समान उक्त अपील में कार्यवाही कर अपील को निर्णित किया गया है जो विधिविरूद्ध है । अधी0न्याया0 में दिनांक 12.11.2013 को अपील प्रस्तुत किये जाने पर उक्त अपील दिनांक 4.12.2013 को दर्ज कर नोटिस जारी किये जाने के आदेश प्रदान किये गये एवं उसके पश्चात् लगभग 13 पेशियों तक सील लगाकर तारीख तब्दील की है, कहीं पर भी यह अंकित नहीं है कि कब नोटिस पेश किये और कब जारी किये गये, इसके बावजूद भी अपीलांट की तामील जरिये रजिस्टर्ड ए0डी0 होना मानकर अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई जो विधिविरूद्ध है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने दिनांक 16.3.2015 को निर्णय पारित करने के पश्चात् रेस्पो0 संख्या 1 का प्रार्थना पत्र धारा 151 व 152 जा0दी0, जिसमें खरीददारों का नाम राजस्व रिकार्ड में से हटाते हुए रेस्पो0 संख्या 1 का 1/2 हिस्सा दर्ज करने की प्रार्थना की गई, पर भी अपीलांट व क्रेतागण को सुनवाई का अवसर दिये बिना संशोधित निर्णय दिनांक 16.4.2015 पारित किया गया है जो नैसर्गिक न्याय के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत होकर निरस्तनीय है ।

4- विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने इस बात पर गौर नहीं किया कि रेस्पो0 संख्या 1 का विवादित भूमियों में कोई हक अधिकार नहीं है क्योंकि वह मोती भाट की पुत्री जीवणी नहीं है बल्कि एक अन्य महिला लता नायर पत्नि श्यामसुन्दर भाट है । जीवणी पुत्री मोती भाट का देहांत पूर्व में दिनांक 7.4.1997 को हो चुका है तथा जीवणी का मृत्यु प्रमाण पत्र गलत व फर्जी नहीं है । उक्त तथ्यों पर विस्तृत जांच किये बिना अधी0न्याया0 ने निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है । रेस्पो0 संख्या 1, जिसका असल नाम लता नायर पत्नि श्यामसुन्दर है, ने 11 वर्ष के असाधारण विलंब के पश्चात् अपने आपको मोती भाट की पुत्री जीवनी बताते हुए गलत तथ्यों के आधार पर अपील पेश की है जबकि जीवनी पुत्री मोती भाट का देहांत हो चुका है । रेस्पो0 संख्या 1 ने गलत तरीके से अपने आपको जीवनी बताकर अपील प्रस्तुत की है । रेस्पो0 संख्या 1 के पहचान कार्ड में उसका नाम लता नायर पत्नि श्याम सुन्दर नायर ही अंकित है । इसके अतिरिक्त रेस्पो0 संख्या 1 ने दिनांक 4.1.2002 को एक प्रोपर्टी अशोक कुमार को बैचान की जिसमें उसने लता नायर पत्नि श्याम सुन्दर ही अंकित किया है उसमें कहीं भी लता उर्फ जीवनी अंकित नहीं है । अधी0न्याया0 उपरोक्त सभी तथ्यों को नजरअदांज कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.4.2015 पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का संशोधित आदेश दिनांक 16.4.2015

अपास्त किया जावे एवं नामांतकरण संख्या 985 दिनांक 20.7.2002 बहाल फरमाया जावे । xx

5- विद्वान वकील रेस्पोडेटस संख्या 1 ने जवाब बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अपीलांट ने विवादित भूमि का नामांतकरण संख्या 985 गलत रूप से रेस्पो0 संख्या 1 जीवणी को मृतक बताते हुए, फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर रेस्पो0 संख्या 1 के हिस्से की भूमि को अपने नाम करवा लिया था जबकि रेस्पो0 संख्या 1, जो कि मोती भाट की पुत्री है, जो जीवित है । पुलिस अधिकारी ने बाद अनुसंधान रेस्पो0 संख्या 1 को जीवित होना पाया है तथा रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा दर्ज एफ0आई0आर0 में अनुसंधान किया जाकर अपराध प्रमाणित पाये जाने पर अपीलांट के विरूद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया गया है । नामांतकरण संख्या 985 दिनांक 20.7.2002 प्रारंभ से अवैध एवं शून्य है। रेस्पो0 संख्या 1 स्व0 मोती भाट की पुत्री है, जिसका विवादित आराजियात में 1/2 हिस्सा है । ग्राम पंचायत द्वारा नामांतकरण संख्या 985 तस्दीक करते समय बिना जांच किये नामांतकरण तस्दीक किया गया है । विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अवैध एवं प्रभाव शून्य आदेशों के विरूद्ध मियाद कानून बाधित नहीं है । अधी0न्याया0 ने मियाद प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया है इसलिये अपीलांट का यह कथन कि अधी0न्याया0 द्वारा मियाद बिन्दु निर्णित किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया जाने संबंधी कथन असत्य है एवं निराधार है । विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पूर्व आदेश दिनांक 16.3.2015 द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 की अपील स्वीकार कर नामांतकरण संख्या 985 दिनांक 20.7.2002 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार, पीपलू को आदेश दिये थे कि नामांतकरण संख्या 985 से पूर्व की राजस्व स्थिति को बहाल किया जावे उसमें कमला बेवा मोती का नाम हटाकर 1/2 हिस्से एवं खसरा नंबर 1656 में हिस्सा 1/3 की खातेदारी का अंकन अपीलांट के पक्ष में किया जावे किन्तु अपीलांट द्वारा नामांतकरण संख्या 985 की आड़ में विवादित आराजियात में रेस्पो0 संख्या 1 के हक व हिस्से तक किये गये समस्त संव्यवहार/इंद्राज स्वंतः ही प्रभावहीन व शून्य हो गये थे जिससे संदर्भित खसरा नंबर के 1/2 हिस्से तक एवं खसरा नंबर 1656 के हिस्से 1/3 तक रेस्पो0 संख्या 1 का नाम राजस्व रिकार्ड में जोड़ा जाना आवश्यक था । इसी प्रकार अन्य खसरान में भी संशोधन किया जाना आवश्यक था इसलिये अधी0न्याया0 ने रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 151 व 152 जा0दी0 स्वीकार कर संशोधित आदेश दिनांक 16.4.2015 को पारित किये है जो विधिसम्मत् है । अपीलांट दस्तावेजी साक्ष्यों से अपनी अपील साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है। अतः अपील अपीलांट अपास्त की जावे ।

6- विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 10 व 11 ने जवाब बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिविरूद्ध है । रेस्पो0 संख्या 10 व 11

विवादित भूमि के सद्भाविक क्रेतागण है जिन्हें अधी0न्याया0 में पक्षकार नियुक्त किये बिना तथा बिना साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 16.3.2015 एवं संशोधित आदेश दिनांक 16.4.2015 को अपास्त किया जावे ।

7- हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं आधार अभिलखों, अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया तथा अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेंटस की बहस पर मनन किया । अपीलांट का मुख्य कथन है कि अधी0न्याया0 ने अपीलांट की रजिस्टर्ड ए0डी0 के आधार पर तामील मानकर अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाकर एकतरफा में कैम्प में निर्णय पारित किया है जिससे अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर नहीं मिला । हमनें इस संबंध में अधी0न्याया0 की पत्रावली का अवलोकन किया । अधी0न्याया0 की पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पो0 संख्या 1 जीवनी उर्फ लता पुत्री मोती पत्नि श्यामसुन्दर ने अधी0न्याया0 के समक्ष नामांतकरण संख्या 985 दिनांक 20.7.2002 ग्राम पंचायत, कठमाना के विरूद्ध अपील दिनांक 12.11.2013 को पेश की जिसे अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 4.12.2013 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी हेतु आगामी पेशी दिनांक 3.1.2014 नियत की गई । तत्पश्चात् 13 पेशियों तक अधी0न्याया0 की आदेशिका में पीठासीन अधिकारी के विभिन्न कार्यो में व्यस्त रहने के कारण सील लगाई जाकर दिनांक 29.1.2015 तक तारीख तब्दील की जाती रही है तथा दिनांक 29.1.2015 को आगामी तारीख पेशी दिनांक 19.3.2015 नियत की गई किन्तु नियत दिनांक 19.3.2015 से पूर्व ही पत्रावली दिनांक 14. 3.2015 को पत्रावली लोक अदालत दिवस पर अपीलांट जीवनी उर्फ लता के अभिभाषक श्री राजाराम चौधरी द्वारा प्रार्थना पत्र पत्रावली तलब करने हेतु प्रस्तुत करने पर पेश होने का अंकन है । अधी0न्याया0 ने उक्त दिनां की आदेशिका में रेस्पो0 सत्यनारायण को जरिये रजिस्टर्ड ए0डी0 के द्वारा तामील करवाये जाने का अंकन किया है । इस संबंध में अधी0न्याया0 की पत्रावली की आदेशिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट नहीं होता है कि अपीलांट सत्यनारायण की तामील हेतु अधी0न्याया0 द्वारा कब रजिस्टर्ड ए0डी0 नोटिस जारी करने के आदेश पारित किये गये । पत्रावली लोक अदालत दिवस दिनांक 14.3.2015 को नियत दिनांक 19.3.2015 से पूर्व रखे जाने के संबंध में अपीलांट सत्यनारायण को नोटिस दिया जाना भी पत्रावली से परिलक्षित नहीं होता है । अधी0न्याया0 की उक्त कार्यवाही से अपीलांट को अधी0न्याया0 के समक्ष अपना पक्ष रखने एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्राप्त नहीं होना पत्रावली से पूर्णतया परिलक्षित होता है । इसी प्रकार हम विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 10 व 11 के इस कथन से भी सहमत है कि रेस्पो0 संख्या 10 व 11 विवादित आराजी के सद्भाविक क्रेता होकर विवादित भूमि रेस्पो0 संख्या 10 व 11 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी किन्तु रेस्पो0 संख्या 1 ने क्रेतागण को भी

अधी0न्याया0 के समक्ष प्रकरण में पक्षकार नियुक्त नहीं किया जिससे उन्हें भी अपना पक्ष एवं साक्ष्य अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नहीं मिला । अधी0न्याया0 ने अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 10 व 11 को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 16.3.2015 एवं दिनांक 16.4.2015 को संशोधित निर्णय पारित किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है। अधी0न्याया0 का यह दायित्व था कि निर्णय पारित करने से पूर्व राजस्व जमाबंदी में दर्ज सभी खातेदारों को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर विधिक त्रुटि कारित की है। उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना की जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किये गये है जिसे विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है ।

8- उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य एवं अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 16.4.2015 अपास्त योग्य होकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, पीपलू को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

–:क्रियात्मक आदेशः–

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील संख्या 53/2015 (2015/00063) बउनवानी सत्यनारायण बनाम लता नायर को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पीपलू जिला टोंक द्वारा अपील संख्या 2/2013 बउनवान जीवणी उर्फ लता बनाम सत्यनारायण में पारित संशोधित निर्णय दिनांक 16.4.2015 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण निर्णय में दिये गये आब्जर्वेशनस् के क्रम में उपखण्ड अधिकारी, पीपलू को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण में अपीलांट एवं अन्य आवश्यक खातेदारों को पक्षकार नियुक्त कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को पुनः गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर

आदेश आज दिनांक 23.7.2018 को मेरे द्धारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(के.के.शर्मा)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
अजमेर